भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3004 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्ग

† 3004. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील :
श्री संजय दीना पाटिल :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :
श्री अमर शरदराव काले :
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके :
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे :
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेषकर इन परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालनात्मक चरणों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है;

(ग) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों के साथ-साथ अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और इसमें कितना विलंब हुआ है/ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र में नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों से औद्योगिक केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क में किस प्रकार सुधार होने की आशा है और इससे किन क्षेत्रों को सर्वाधिक लाभ होगा?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से महाराष्ट्र में पंद्रह (15) राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए थे, जिनकी कुल लंबाई 3089 कि.मी. है। इनके विवरण अनुबध-I में दिए गए हैं। इनमें से, 530 कि.मी. की कुल लंबाई के साथ छह (6) राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालनरत हैं। प्रचालनरत राष्ट्रीय जलमार्ग रा.ज.-10

(अंबा नदी), रा.ज.-53 (कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी), रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रेवादंडा क्रीक और कुंडालिका नदी), रा.ज.-91 (शास्त्री नदी-जयगढ़ क्रीक) और रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) हैं।

(ख) और (ग): अबंटित निधि, उपयोगिता और समयसीमाओं का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ): सरकार का फोकस राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर केंद्रित है।

(ङ): महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए कोई भी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सरकार के पास लंबित नहीं है।

(च): अंतर्देशीय जल परिवहन का माध्यम परिवहन के अन्य माध्यमों जैसे सड़क/रेल की तुलना में परिवहन का सस्ता साधन है और इस माध्यम पर वस्तुओं का मोडल परिवर्तन लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर सकता है। तापी नदी (रा.ज.-100), अंबा नदी (रा.ज.-10), जयगढ़ क्रीक नदी – शास्त्री नदी (रा.ज.-91) के किनारों का बड़ा औद्योगीकरण एक प्रमुख उदाहरण है, जो अंतर्देशीय जलमार्गों पर कुल मिलाकर लगभग 98.67 एमएमटी कार्गो प्रतिवर्ष की आवाजाही करता है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग स्थानीय पश्चभूमि को जोड़ने के साथ ही एक्जिम गेटवे भी हैं। वर्तमान में प्रमुख रूप से, रायगढ़, मुंबई और रत्नागिरी जिले इनका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अनुबंध – 1

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों का विवरण

क्र.सं.	रा.ज.	नदी	लंबाई (कि.मी.)
1.	रा.ज.10	अंबा नदी	45
2.	रा.ज.28	दभोल क्रीक-वशिष्टी नदी	45
3.	रा.ज.53	कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी	145
4.	रा.ज.72	नाग नदी	60
5.	रा.ज.83	राजपुरी क्रीक	31
6.	रा.ज.85	रेवांडदंडा क्रीक ओर कुंडालिका नदी	31
7.	रा.ज.89	सावित्री नदी और बनकोट क्रीक	46
8.	रा.ज.91	शास्त्री नदी-जयगढ़ नदी	52
9.	रा.ज.100	तापी नदी	436
10.	रा.ज.70	मंजारा नदी	242
11.	रा.ज.78	पेंगंगा नदी-वर्धा नदी	265
12.	रा.ज.109	वेनगंगा नदी-प्रणाहिता नदी	164
13.	रा.ज. 73	नर्मदा नदी	226
14.	रा.ज. 4 (भाग)	गोदावरी नदी	1202
15.	रा.ज. 11	अरूणावती-अरन नदी प्रणाली	99

अनुबंध – 2

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए आबंटित निधि, उपयोग और समयसीमाएं

क्र.सं.	विवरण	निधि आबंटन वित्त वर्ष 2024-25 (रु. में)	निधि आबंटन वित्त वर्ष 2025-26 (रु. में)	निधियों का उपयोग	समयसीमा
(क)	सहायक अवसंरचना (ड्रेजिंग/चैनल मार्किंग/बंडलिंग/नौचालन सहायताएं और आरआईएस-V)	1.34 करोड़	14.76 करोड़	कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्य अभी हाल ही में सौंपा गया है।	दिसंबर 2025
(ख)	जलीय सर्वेक्षण	0.34 करोड़	0.22 करोड़	कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्य अभी हाल ही में सौंपा गया है।	दिसंबर 2025
(ग)	कार्गो संवर्धन	0.00 करोड़	0.20 करोड़	कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्य अभी हाल ही में सौंपा गया है।	दिसंबर 2025
(घ)	विविध व्यय (प्रशासनिक खर्चे, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, कार्यालय संस्थापना, आवधिक मूल्यांकन, विपदा प्रबंधन योजना, आपात योजना पीएमयू आदि।)	1.70 करोड़	4.14 करोड़	कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कार्य अभी हाल ही में सौंपा गया है।	दिसंबर 2025
-	**महाराष्ट्र रा.ज. के लिए कुल अनुमोदन**	**3.38 करोड़**	**19.32 करोड़**		

*****